

21/12

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16 /12/2021

क्रमांक 2465/660/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूंकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्ननिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील क्रमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 22.09.2021 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
1	2	3
1.	61	श्री आर.के. शुक्ला (रमाकान्त शुक्ला)
2.	65	श्री रामप्रसाद पाल
3.	80	श्री एम0पी0 सिंह राठौर
4.	83	श्री के.सी.परसाई
5.	98	श्री नरोत्तम दास परवार
6.	100	श्री जीवनलाल लिलहारे
7.	110	श्री सुदामा प्रसाद मिश्रा
8.	113	श्री श्यामाचरण चौरसिया
9.	116	श्री अशोक कुमार सिंघई
10.	121	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव
11.	128	श्री चन्द्रकांत तिवारी
12.	144	श्री कमल सिंह कुशवाह
13.	145	श्री दिलावर खान
14.	152	श्री एस0के0 पाण्डे
15.	195	श्री मान सिंह डेहरिया
16.	243	श्री भागवंद बिसेन
17.	251	श्री करोडीलाल शुक्ला
18.	255	श्री सतीश कुमार बाजपेयी
19.	264	श्री वीरेन्द्र कुमार नाग
20.	274	श्री के.के.वर्मा
21.	284	श्री जगदीश पाराशर

स.क.	वरियता क्रमांक	नाम
1	2	3
22.	296	श्री श्याम बाबू शर्मा
23.	319-A	श्री माधवसिंह रघुवंशी
24.	323	श्री कामता प्रसाद मिश्रा
25.	332	श्री धनीराम घोरमोर
26.	335	श्री एस.एस.परते
27.	347	श्री प्रभुचरण दुबे
28.	378	श्री राजीवलोचन पांडे
29.	385	श्री भगवानसिंह जादौन
30.	422	श्री शैलेन्द्र कुमार पाल
31.	431	श्री एन.ए. कुरैशी (मिजामुद्दीन अहमद)
32.	436	श्री सीताराम मालवीय
33.	463	श्री रमेशचन्द्र शर्मा

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

R. Anand 15/12/2021
(पद्माप्रिया बालाकृष्णन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 16 /12/2021

पृ० क्रमांक 2466 /660/2021/10-1

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
- (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
- (5) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
- (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
- (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

R. Anand 15/12/2021
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-11) म. प्र. भोपाल

क्रमांक/प्रशा-11/गोपनीय/05/2021/6653

भोपाल दिनांक:- 21/12/2021

प्रतिलिपि:-

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म. प्र. की ऑफिसरों को

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त शास्त्रोक्त ले

आपके क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित लेखानिष्ठ वनक्षेत्रपालों को

अथवा करीब का कष्ट करें।

Order H.S. Ahirwar

21.12.21
सहायक वन संरक्षक
कार्यालय अ. प्र. प्र. व. सं. (प्रशा-11)
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/11/2021

क्रमांक:एफ 3-38/2021/10-1 : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) के आदेश दिनांक 16.02.2021 से वरीयता प्राप्त उप वनक्षेत्रपालों को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री रेवा सिंह परस्ते (अ.ज.जा.) की वरीयता, वरीयता क्रमांक 261 श्री राजेन्द्र सिंह परस्ते (अ.ज.जा.) के नीचे वरीयता क्र. 261 ए पर निर्धारित की गई।

2/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.02.2014 में की गई अनुशंसा के अनुसार वरीयता क्रमांक 261 (01.04.2013 की स्थिति में) श्री राजेन्द्र सिंह परस्ते (अ.ज.जा.) की पदोन्नति दिनांक 13.10.2014 से दी गई तथा श्री रेवा सिंह परस्ते, उप वनक्षेत्रपाल के कनिष्ठ श्री रामगोपाल सहरिया (अनु.ज.जाति) की विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2021 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई है।

3/ उक्त स्थिति में श्री रेवा सिंह परस्ते (अ.ज.जा.) को उनसे कनिष्ठ श्री रामगोपाल सहरिया (अ.ज.जा.) वनक्षेत्रपाल के पद पर की गई पदोन्नति दिनांक 13.10.2014 से पात्रता आती है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 401/300/2010/3/एक, दिनांक 09.04.2019 द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर को विधिक अभिमत दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

5/ अतः उपरोक्त स्थिति में दिनांक 19.07.2021 को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न हुई रिज्यू डी.पी.सी. की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800+ग्रेड वेतन 3600 में उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित दिनांक से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर पदोन्नत करते हुये कालम-6 में अंकित पदस्थापना पर पदस्थ करता है:-

अ. क्र.	वरिष्ठता क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	पदोन्नति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नत उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	261 ए (दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में)	श्री रेवा सिंह परस्ते	13.10.2014	उत्तर वनमण्डल शहडोल (सामान्य)	वनपरिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण समनापुर (सा.) डिण्डोरी सामान्य वनमण्डल

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर....

1-21/5

121

भोपाल, दिनांक 11/11/2021

पृ० क्रमांक:एफ 3-38/2021/10-1

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
- ✓(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
- (4) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय।
- (5) विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
- (6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक म० प्र०।
- (7) संबंधित वनमण्डलाधिकारीम० प्र०।
- (8) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) भोपाल।
- (9) गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।

रमा-5/3
62

APCCF (ADMIN.-11)
M.P. BHOPAL



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27/09/2021

क्रमांक:एफ 3-33/2021/10-1 : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) के आदेश दिनांक 11.01.2021 से वरीयता प्राप्त उप वनक्षेत्रपालों को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय की वरीयता, वरीयता क्रमांक 318 श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव के नीचे वरीयता क्र. 319 श्री बृजेन्द्र सिंह के ऊपर वरीयता क्र. 318 ए, श्री अजय कुमार बाजपेयी की वरीयता, वरीयता क्र. 338 श्री प्रदीप कुमार शुक्ला के नीचे वरीयता क्र. 339 श्री हरी प्रकाश खरे के ऊपर वरीयता क्र. 338 ए, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा की वरीयता, वरीयता क्र. 339 श्री हरीप्रकाश खरे के नीचे एवं वरीयता क्र. 340 श्री अम्बिका प्रसाद महोत्रिया के ऊपर वरीयता क्र. 339 ए पर निर्धारित की गई।

2/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में की गई अनुशंसा के अनुसार वरीयता क्रमांक 319 (01.04.2014 की स्थिति में) श्री बृजेन्द्र सिंह (सामान्य) की पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से दी गई तथा वरीयता क्रमांक 351 (01.04.2014 की स्थिति में) श्री विनोद कुमार अवस्थी को विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2016 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई है।

3/ उक्त स्थिति में श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय को उनसे कनिष्ठ श्री बृजेन्द्र सिंह (सामान्य) उप वनक्षेत्रपाल के पद पर की गई पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से एवं श्री अजय कुमार बाजपेयी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, उप वनक्षेत्रपालों को उनसे कनिष्ठ श्री विनोद कुमार अवस्थी (सामान्य) को वनक्षेत्रपाल के पद पर की गई पदोन्नति दिनांक 21.03.2016 से पात्रता आती है।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 401/300/2010/3/एक, दिनांक 09.04.2019 द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर को विधिक अभिमत दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

5/ अतः उपरोक्त स्थिति में दिनांक 19.07.2021 को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न हुई रिज्यू डी.पी.सी. की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800+ग्रेड वेतन 3600 में उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित दिनांक से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत के आधार पर पदोन्नत करते हुये कालम-6 में अंकित पदस्थापना पर पदस्थ करता है:-

अ. क्र.	वरिष्ठता क्र. 2014	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	पदोन्नति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नत उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	318 ए	श्री कौशलेन्द्र पाण्डेय	28.11.2015	उत्तर वनमण्डल पन्ना (सामान्य)	वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वरौंगा (सा.), सामान्य वनमण्डल सतवा
2	338 ए	श्री अजय कुमार बाजपेयी	21.03.2016	पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना	वनपरिक्षेत्र अधिकारी, श्योपुर(सा.), सामान्य वनमण्डल श्योपुर
3	339 ए	श्री अजय कुमार मिश्रा	21.03.2016	सामान्य वनमण्डल छतरपुर	वनपरिक्षेत्र अधिकारी, डीमरखोडा(सा.), सामान्य वनमण्डल कटनी

27/09/2021
Sd/- H.S. Ahirwar

249
9819/2021

निरन्तर.....2

APCCF (ADMIN-II)
28 SEP 2021

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति म०प्र० सिविल सेवा (सेवा शर्त) नियम 1961 के अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(विजया पुनवत्कर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 27/09/2021

पृ० क्रमांक:एफ 3-33/2021/10-1

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1), भोपाल।
- (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
- (5) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
- (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
- (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1)
भोपाल।
- (8) क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना।
- (9) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल.

पृ०क्रमांक/प्रशा- II /स्था.3./व.क्ष.कक्ष/ 27/8

भोपाल, दिनांक 29/09/2021

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) उत्तरपुर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा म.प्र.।
2. क्षेत्र संचालक,पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर पन्ना/उत्तरपुर/कटनी/श्योपुर/सतना म.प्र.
4. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (1) कक्ष प्रभारी 05 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित वनक्षेत्रपाल को तापिल कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(गहेन्द्र सिंह धाकड़)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन-III)
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15 /09/2021

क्रमांक 1783 /976/2021/10-1 :माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4717/2001 में दिनांक 22.02.2018 को निर्णय दिया था कि चूकि समस्त वनपाल अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः उनकी पुर्वनिर्धारित वरिष्ठता, पेंशन एवं सेवानिवृत्त पर देय स्वत्तों के लिये लागू होगी एवं उन्हें उप वनक्षेत्रपाल अथवा वनक्षेत्रपाल के पदों पर वरिष्ठता का वेतन अवशेष देय नहीं होगा। तत्पश्चात् मान. सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील क्रमांक 36685/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 में राज्य सरकार की अपील को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्निर्धार बैठक दिनांक 05.03.2021 की अनुशंसा के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 26.06.1996 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
1	2	3
1.	2	श्री रामनरेश तिवारी
2.	3	श्री के.एन.शिवपुरिया
3.	4	श्री सुरेश प्रसाद शुक्ला
4.	6	श्री दिलीप सिंह राजपूत
5.	10	श्री आर.एस.साकल्ले
6.	11	श्री रमेश कुमार सक्सेना
7.	13	श्री नारायण राव पवार
8.	14	श्री मो. शमीमुदीन खान
9.	22	श्री शिवनाथ प्रसाद भट्ट
10.	23	श्रीकृष्ण यशवंत खरे
11.	24	श्री के.के.वर्मा
12.	25	श्री लक्ष्मणराव काले
13.	26	श्री एम.एस.परमार (मनोहर सिंह परमार)
14.	27	श्री पंचराज भारती
15.	28	श्री शेर मोहम्मद चौहान
16.	29	श्री नानकराम सोलंकी
17.	30	श्री शेषराव देशमुख
18.	34	श्री सेमसंग बैजांमिन
19.	36	श्री एस.एन. रघुवंशी (शिव नारायण रघुवंशी)
20.	39	श्री अनंत कुमार शर्मा
21.	41	श्री हरिशंकर पुरी
22.	42	श्री पवनकुमार तिवारी
23.	44	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला



स.क.	चरियता क्रमांक	नाम
24.	45	श्री श्रीकांत शर्मा,
25.	46	श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा
26.	48	श्री सत्येन्द्रनाथ पाण्डेय
27.	49	श्री गिरीश प्रसाद शुक्ला
28.	50	श्री शत्रुघन सिंह
29.	51	श्री आर.एन. त्रिपाठी
30.	52	श्री विमल प्रसाद दुबे
31.	53	श्री राम किशोर रजक
32.	55	श्री हीरालाल शर्मा
33.	56	श्री रामपाल सिंह तिवारी
34.	57	श्री रामलखन शर्मा
35.	59	श्री बलराम प्रसाद द्विवेदी
36.	60	श्री जयनारायण शुक्ला
37.	61	श्री महादेव प्रसाद मिश्रा
38.	62	श्री मकसूद अली
39.	63	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
40.	64	श्री हुकुमचंद साहू
41.	66	श्री एम.आर.देशमुख (माणिकराव देशमुख)
42.	67	श्री पूरनसिंह चौहान
43.	77	श्री व्ही.बी.श्रीवास्तव
44.	79	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
45.	80	श्री सुखराम खानोकर
46.	81	श्री टी.पी.सूदन
47.	84	श्री भागीरथ प्रसाद जोशी
48.	85	श्री महेश कुमार शर्मा
49.	86	श्री मकबूल हसन खान
50.	87	श्री जे.पी.रघुवंशी
51.	88	श्री मांगीलाल सोलंकी
52.	89	श्री अब्दुल कलाम
53.	90	श्री रमेश चंद जैन
54.	92	श्री जमना प्रसाद तिवारी
55.	94	श्री मजीदुल बसी
56.	96	श्री छगनलाल ढोमने
57.	97	श्री पोतन लाल ठाकरे
58.	99	श्री महिपाल सिंह चौहान
59.	101	श्री संत कुमार जैन
60.	103	श्री शंकरलाल आर्य
61.	104	श्री डी.एस.सिसोदिया
62.	105	श्री नवरंगलाल शिवहरे

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
63.	107	श्री जी.एस.रावसेवा (गोपाल गजान रावसेवा)
64.	108	श्री आर०के०श्रीवास्तव
65.	109	श्री एस.आर.विजारे (सुरेश राय विजारे)
66.	110	श्री एम.के.जैन (महेन्द्र कुमार जैन)
67.	111	श्री शिवनारायण शर्मा
68.	111-ए	श्री बी.एस.पूनिया
69.	114	श्री हरिभाऊ होल्कर
70.	116	श्री महेश कुमार श्रीवास्तव
71.	117	श्री लखनलाल पवार
72.	120	श्री रघुनाथ गजभिचे
73.	121	श्री मेहमूद खान
74.	125	श्री हर्ष नारायण गौतम
75.	126	श्री देवचंद ठाकुर
76.	127	श्री यू०सी०वर्मा
77.	130	श्री शंकरलाल श्रीवास्तव
78.	131	श्री शीलचन्द्र जैन
79.	134	श्री के.पी.ठाकुर
80.	135	श्री खुशीलाल मिश्रा,
81.	138	श्री नरेन्द्रसिंह सोलंकी
82.	139	श्री एस.के.कुरचानिया
83.	140	श्री अब्दुल सलाम खान
84.	142	श्री फिरोजुल हक
85.	143	श्री जगतधारी प्रसाद वर्मन
86.	146	श्री ए०एस०सिद्धिकी
87.	147	श्री पी.के. शर्मा(प्रहलाद कुमार शर्मा)
88.	148	श्री द्वारकानाथ पाण्डे
89.	149	श्री प्रभात कुमार दुबे
90.	150	श्री संतोषीराम मिश्रा
91.	151	श्री मोहम्मद खलील हाशमी
92.	155	श्री डेनियल विजय कुमार लेवी
93.	157	श्री गोपाल सिंह राजपूत
94.	159	श्री जे.एस.राजपूत
95.	160	श्री श्रीचन्द्र शर्मा
96.	161	श्री डी.पी.यादव
97.	162	श्री यशवंत कुमार गौतम
98.	164	श्री बी.जी.तिवारी
99.	165	श्री कृष्ण कुमार तिवारी
100.	166	श्री अजीत सिंह
101.	169	श्री एस.के.दीक्षित

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
102.	170	श्री जगदीश प्रसाद सोमवंशी
103.	171	श्री के.सी.शुक्ला
104.	172	श्री गिरधारीलाल सवासिया
105.	173	श्री सैयद जाफर अली
106.	177	श्री नरेन्द्र कुमार निगम
107.	178	श्री के.के.पाण्डे
108.	179	श्री हीरालाल कुल्मी
109.	180	श्री. राज कुमार सिंह
110.	181	श्री टी०एल०उडके
111.	184	श्री रामस्वरूप तिवारी
112.	185	श्री विश्वनाथ शुक्ला
113.	186	श्री बेचन सिंह
114.	188	श्री जे.एल.बर्मन
115.	188-ए	श्री उमाशंकर भार्गव
116.	192	श्री ए.एच.खान
117.	193	श्री जगन्नाथ प्रसाद राठौर
118.	194	श्री आर.एम.सिंह परिहार
119.	197	श्री सी.एल. भालाधरे
120.	198	श्री ओ०पी०बाजपेयी
121.	201	श्री प्रभुनाथ सिंह परिहार
122.	202	श्री रामगोपाल सिंह चौहान
123.	205	श्री शेख शमी उल्ला अंसारी
124.	206	श्री मनोहरलाल पारे
125.	207	श्री अनिल कुमार गुप्ता
126.	208	श्री एस.एल.शर्मा (सोहनलाल शर्मा)
127.	211	श्री तेजराम मोरघड़े
128.	213	श्री ओमप्रकाश शुक्ला
129.	214	श्री अमोल सिंह ठाकुर
130.	216	श्री नवीदाद खां
131.	222	श्री मलखान सिंह चौधरी
132.	223	श्री आर.एल.पटेल
133.	224	श्री रामसिंह राठौर
134.	225	श्री डी०आर०पटेल
135.	226	श्री प्रीतमलाल राहंगडाले
136.	228	श्री आर.एस.भट्ट
137.	229	श्री रामचरण पवार
138.	232	श्री विजय कुमार मार्टिन
139.	234	श्री हेमराज चौधरी
140.	235	श्री नारायण प्रसाद भांगरे

स.क.	वरियता कमांक	नाम
141.	238	श्री दौलतसिंह तोमर
142.	239	श्री एन.एल.बिसन्डे
143.	241	श्री पुरुषोत्तम पुरोहित
144.	242	श्री पी.सी.सूर्यवंशी
145.	243	श्री व्ही.एस.कौशल
146.	245	श्री जुगल किशोर मोहर
147.	246	श्री कौशल प्रसाद पाण्डे
148.	249	श्री एस.के.राव कलसुले
149.	250	श्री दशरथ झा
150.	252	श्री जी.पी.व्यास
151.	253	श्री अब्दुल्ला खान
152.	257	श्री आर.के.भारद्वाज
153.	259	श्री के.डी. देशमुख
154.	260	श्री वैजनाथ विश्वकर्मा
155.	262	श्री रामदयाल यादव
156.	264	श्री जी०पी०कोरी
157.	265	श्री एल०सी०डेहरिया
158.	268	श्री हर्ष मिश्रा
159.	270	श्री घनश्याम प्रसाद गौतम
160.	271	श्री सतीश चन्द्र शर्मा
161.	272	श्री सुदर्शन प्रसाद विश्वकर्मा
162.	277	श्री युगल किशोर स्वर्णकार
163.	278.1	श्री बी.एन.रावत
164.	280	श्री बी०एस०सोनेर
165.	281	श्री भोलाराम गौतम
166.	287	श्री लियाकत अली खान
167.	288	श्री शिवकुमार शर्मा
168.	289	श्री रामउदार तिवारी
169.	291	श्री गोपाल दत्त शर्मा
170.	292	श्री जगनसिंह राजपूत
171.	293	श्री गेदसिंह रैथाम
172.	294	श्री रामसुख पाण्डेय
173.	297	श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय
174.	298	श्री एम.एस.चौधरी
175.	299	श्री एच.एन.पाण्डेय
176.	300	श्री सत्य नारायण शर्मा
177.	301	श्री अवध बिहारी मिश्रा
178.	302	श्री ओम नारायण मिश्रा
179.	303	श्री दिनेश प्रताप सिंह परिहार

स.क.	वरियता क्रमांक	नाम
180.	304	श्री नारायण प्रसाद तिवारी
181.	305	श्री सी.के. तैकाम
182.	306	श्री डी.एल.देशमुख
183.	308	श्री अमर सिंह ठाकुर
184.	309	श्री एम.पी. रजक
185.	311	श्री एस.के.शुक्ला
186.	312	श्री आर.एल.श्रीवास्तव
187.	314	श्री पी.एन. खरे
188.	320	श्री नवासिया सिंह धुर्वे
189.	321	श्री प्रताप सिंह परते
190.	322	श्री रघुवीर शरण चतुर्वेदी
191.	325	श्री एस.के.मिश्रा(सुशील कुमार मिश्रा)
192.	326	श्री एल.एल.धुर्वे
193.	327	श्रीजे.पी.बर्मन
194.	328	श्री छत्तर सिंह चौहान
195.	329	श्री एस.पी.मिश्रा
196.	331	श्री देवेन्द्र सिंह परमार
197.	333	श्री प्रेमलाल तैकाम
198.	337	श्री एडवर्ड लकड़ा
199.	338	श्री आर.एस.शर्मा
200.	339	श्री ए.वाई.खान
201.	341	श्री टी.एस.कुलिया
202.	342	श्री एम.एल.दुबे
203.	344	श्री जे.पी.पोखिरयार
204.	346	श्री तुलाराम परते
205.	348	श्री एम.पी.पाण्डे
206.	349	श्री राजेन्द्र कुमार सालोमन
207.	350	श्री शरद कुमार ठाकुर
208.	351	श्री डीलचन्द पट्टे
209.	354	श्री फूलसिंह ठाकुर
210.	355	श्री रामनाथ सराडे
211.	356	श्री कमल प्रसाद सनाइय
212.	357	श्री कृष्ण कुमार डेहरिया
213.	358	श्री गोविन्द प्रसाद शुक्ला
214.	362	श्री आर.के.मरावी
215.	366	श्री पी.एस. सिंह
216.	368	श्री आर.पी.मिश्रा
217.	370	श्री रामजी सिंह
218.	371	श्री राजेन्द्र खण्डागे

स.क.	वरियता क्रमांक	नाम
219.	372	श्री रामरतन सोनी
220.	373	श्री जे.एस. प्रजापति
221.	374	श्री नेकराम गजभिए
222.	377	श्री जे.एन.वर्मा
223.	381	श्री त्रिवेणीप्रसाद अग्निहोत्री
224.	383	श्री विष्णुआ हुमने
225.	384	श्री यू.एस. कोरी
226.	386	श्री रेवेन्द्र कुमार शर्मा
227.	387	श्री बी.एल.धाकड़
228.	388	श्री के.आर.बर्बे
229.	393	श्री महेश चन्द्र शेंडे
230.	395	श्री शंकरलाल साकेत
231.	398	श्री टी.एल. हनवत
232.	399	श्री शिव कुमार श्रीवास्तव
233.	400	श्री सूर्यनाथ यादव
234.	401	श्री राजवीर सिंह चौहान
235.	402	श्री ओमप्रकाश ज्योतिषी
236.	405	श्री सुरेश कुमार पांडे
237.	406	श्री जमनादास खंडायत
238.	407	श्री वैद्यप्रकाश चतुर्वेदी
239.	408	श्री जियालाल गेडाम
240.	412	श्री छेदीलाल शर्मा
241.	413	श्री पी.डी. बांगरे
242.	414	श्री गुलाब राय नवानी
243.	415	श्री पुरुषोत्तम शांडिल्य
244.	416	श्री दिलीप कुमार राहंगडाले
245.	417	श्री विष्णुचरण राजौरिया
246.	421	श्री जगदीशसिंह बघेल
247.	423	श्री शकील अहमद खान
248.	425	श्री भगवत प्रसाद सोनी
249.	426	श्री आर.एन.सिंह
250.	428	श्री अशोक कुमार सक्सेना
251.	432	श्री ए.के.मिश्रा
252.	433	श्री श्याम सुन्दर मिश्रा
253.	434	श्री राजभारती गोस्वामी
254.	437	श्री नरेन्द्रसिंह तोमर
255.	438	श्री साहबशरण कश्यप
256.	441	श्री बी.के. व्यास
257.	442	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

स.क.	चरियता कमांक	नाम
258.	443	श्री दिनेश नाईक
259.	444	श्री रामस्वरूप पटेल
260.	446	श्री जगदीश प्रसाद गौतम
261.	449	श्री मनभरण प्रसाद दुबे
262.	450	श्री रमाकांत मिश्रा
263.	451	श्री दामोदर प्रसाद जाट
264.	452	श्री बिहारीलाल तिवारी
265.	454	श्री राजेन्द्रप्रसाद द्विवेदी
266.	456	श्री राजमणि सिंह चौहान
267.	458	श्री रमेशचन्द्र चौहान
268.	459	श्री कन्हैयालाल पटेल
269.	461	श्री राकेश कुमार रावत
270.	466	मो०याकूब खान
271.	468	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव
272.	469	श्री नाथूलाल वर्मा
273.	471	श्री जसवंतसिंह ठाकुर
274.	472	श्री वैजनाथसिंह बघेल
275.	473	श्री रंगदेवसिंह
276.	475	श्री शशिमोहन भार्गव
277.	476	श्री भवानीलाल कहारा
278.	479	श्री ओ.पी.तिवारी
279.	480	श्री मोहम्मद रज्जोक खान
280.	481	श्री कैलाशचंद्र गार्गव
281.	485	श्री गणेश प्रसाद गर्ग
282.	488	श्री नारायण दास शर्मा
283.	489	श्री चक्रधर प्रसाद त्रिपाठी
284.	490	श्री जयप्रकाश शर्मा
285.	491	श्री प्रवीण कुमार व्यास
286.	492	श्री रमेश प्रसाद साहू
287.	493	श्री देवराज मिश्रा
288.	494	श्री ईश्वरलाल पारगीर
289.	495	श्री एस.एस.त्रिपाठी
290.	497	श्री जगदीश राठौर
291.	499	श्री हीरामणि शर्मा
292.	505	श्री रामबवश सिंह
293.	506	श्री झनकलाल आग्नेकर
294.	507	श्री ओ०पी० शर्मा
295.	517	श्री सहदेव सिंह पुरसाम
296.	6	श्री हरिशंकर गौर

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
297.	7	श्री संतादास सिंह
298.	8	श्री युवागा प्रसाद भारती
299.	14	श्री नगदा प्रसाद श्रीवास
300.	19	श्री राजलाल वर्मा
301.	20	श्री रामनरेश पाण्डे
302.	23	श्री अचलसिंह तोमर
303.	25	श्री नरेशकुमार पाण्डेय
304.	26	श्री हाकमसिंह शर्मा
305.	27	श्री महेशसिंह ठाकुर
306.	28	श्री दिनकर प्र० पाण्डेय
307.	29	श्री रामाश्रण पाण्डेय
308.	31	श्री जे.पी. आठोले
309.	33	श्री रामकिशन बचले
310.	34	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
311.	35	श्री प्रीतम मथरानी
312.	38	श्री डी.के. गोहिल
313.	41	श्री हरिकिशन गौर
314.	53	श्री पर्वतसिंह ठाकुर
315.	54	श्री ताराचन्द राहंगडाले
316.	63	श्री भोला प्रसाद द्विवेदी
317.	65	श्री किशनलाल वर्मा
318.	66	श्री रणछोर सिंह
319.	67	श्री रामरुद्र मिश्रा
320.	74	श्री एस.पी. शर्मा
321.	77	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
322.	78	श्री बाबूलाल पाण्डेय
323.	79	श्री नरेन्द्र प्रसाद तिवारी
324.	81	श्री सी.एस. सिंह
325.	82	श्री जोगेन्द्र कुमार मिश्रा
326.	83	श्री हंसलाल बिसेन
327.	84	श्री सूर्यमणी सिंह
328.	85	श्री अबू हमजा खान
329.	87	श्री एल.एस. पटेल (लल्लू सिंह पटेल)
330.	89	श्री श्याम लाल सिंह पटेल
331.	90	श्री राजकरण सिंह तिवारी
332.	92	श्री रामेश्वर प्रसाद चौरसिया
333.	94	श्री संतोषकुमार शांडिल्य
334.	95	श्री रामायण प्रसाद तिवारी
335.	96	श्री दीनबन्धु पाठक

स.क्र.	वरियता क्रमांक	नाम
336.	99	श्री कामता प्रसाद द्विवेदी
337.	100	श्री रामशरण द्विवेदी
338.	101	श्री जवाहर लाल शर्मा
339.	102	श्री सत्यदेव द्विवेदी
340.	103	श्री शिव कुमार गौतम
341.	105	श्री हरीनाथ सिंह बघेल
342.	108	श्री हरदास चौबे
343.	111	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
344.	114	श्री हफीज खान
345.	117	श्री नारायण प्रसाद आठव्या
346.	119	श्री उमाशंकर रैकवार
347.	120	श्री छोटेलाल गर्ग
348.	122	श्री अजय कुमार मेहता
349.	123	श्री रघुनाथ सिंह ठाकुर
350.	126	श्री नरसिंह राव नायडू
351.	127	श्री पूरन सिंह ठाकुर
352.	128	श्री सूर्यप्रकाश दुबे
353.	129	श्री विष्णु प्रसाद कुर्मी
354.	130	श्री रमेश प्रसाद दुबे
355.	131	श्री कीरत सिंह लोधी
356.	132	श्री हरिनारायण शुक्ला
357.	134	श्री पन्ना लाल शर्मा
358.	135	श्री सी.एल. श्रीवास्तव(छोटेलाल श्रीवास्तव)
359.	136	श्री सत्यनारायण पाण्डे
360.	137	श्री इमरतलाल पाटिल
361.	138	श्री रमेश कुमार तिवारी
362.	139	श्री रामबिहारी शुक्ला
363.	140	श्री सुरेन्द्र कुमार निखारे
364.	141	श्री परसराम सनोडिया
365.	142	श्री नजीर अहमद
366.	143	श्री गोपाल सिंह बघेल
367.	144	श्री बालिकराम ठाकुर
368.	146	श्री श्रीराम शिववेदी
369.	147	श्री निरपत सिंह बघेल
370.	148	श्री चित्तौड़ सिंह बघेल
371.	150	श्री रामसिंह डहरवाल
372.	151	श्री अरुण कुमार भण्डारी
373.	153	श्री के.एस.माल्या
374.	154	श्री मुजीब अहमद

स.क.	वरियता कमांक	नाम
375.	155	श्री शांत कुमार दुबे
376.	156	श्री भगवान सिंह दीक्षित
377.	157	श्री अब्दुल लतीफ खान
378.	160	श्री देवेन्द्रसिंह सिसौदिया
379.	161	श्री गेंदलाल रनोडिया
380.	162	श्री रामायण सिंह बघेल
381.	163	श्री ताराचंद दुबे
382.	164	श्री सुरेश कुमार टोकेकर
383.	166	श्री दुलीचन्द बहेकर
384.	167	श्री दिलीप चंद्र टेम्भरे
385.	168	श्री दशरथ हरिनखेडे
386.	170	श्री गणपकार अहमद कुरेशी
387.	171	श्री देवेन्द्रकुमार सारंगपुरे
388.	172	श्री राजकुमार अवस्थी
389.	175	श्री माणिकराम पटले
390.	176	श्री यादोराम बिसेन
391.	178	श्री हुकुमचन्द रांहगडाले
392.	179	श्री कुलदीप सिंह कोके
393.	181	श्री रामचरन नागरे
394.	182	श्री शेख सलीमउददीन
395.	187	श्री मोहनलाल बिसेन
396.	190	श्री रामचरण कोरी
397.	191	श्री शिवसिंह बघेल
398.	192	श्री टेकसिंह ठाकुर
399.	193	श्री एम०एस०अलोरिया
400.	200	श्री देवी सिंह उइके
401.	201	श्री एच.पी.मेहंगिया
402.	203	श्री अभयराम डेहरिया
403.	212	श्री आर.आर. पाठक
404.	214	श्री मल्थूराम रजक
405.	215	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
406.	220	श्री एस.एस. परमार
407.	221	श्री टी.एस. सेंगरे
408.	223	श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी
409.	226	श्री ए.के.भदौरिया
410.	230	श्री बी.डी. बैसवार
411.	231	श्री व्ही.व्ही. मिश्रा
412.	232	श्री भूपतलाल सिंगौरे
413.	233	श्री एम.एल.सोनी

स.क.	वरियता कमांक	नाम
414.	234	श्री प्रकाश मिश्रा
415.	235	श्री अरुण देवसरे
416.	237	श्री एच.के. शिवानी
417.	240	श्री एस.के. गौतम
418.	241	श्री वाच. एस. बघेल
419.	247	श्री व्ही.के.जैन
420.	248	श्री समानक खान
421.	251	श्री शिवपाल साकरे
422.	258	श्री जितेन्द्र सिंह परिहार
423.	259	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव
424.	269	श्री जसवंत सिंह चौहान
425.	275	श्री हरिप्रसाद सोनकर
426.	276	श्री सी.बी. अवस्थी
427.	277	श्री सुंदरलाल मानवटकर
428.	287	श्री प्रेमनारायण अहिरवार
429.	316	श्री दयाराम वर्मा

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति तिथि 26.06.1996 से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु "कार्य नहीं होता नहीं" सिद्धांत के आधार पर वेतन आरोप हो नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 15 /09/2021

पृ० क्रमांक 1784 /976/2021/10-1

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1), भोपाल।
- (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
- (5) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
- (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
- (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) भोपाल।

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-1) भोपाल

c:\Users\Admin\Desktop\Order.docx 4878

कोपल दिनांक 16/09/2021

प्रतिलिपि:- सभल मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म.प्र की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। स्वयं संबंधित वनक्षेत्रपालों उक्त आदेश की

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08 /09/2021

क्रमांक 1726 /1633/2019/10-1 :मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अपील क्रमांक 4717/2001 में पुनरीक्षित आदेश दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उपवनक्षेत्रपाल व वनक्षेत्रपाल के पद पर भूतलक्षी तिथि से पदोन्नति हेतु राज्य स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 23.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को दिनांक 20.03.1998 से वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान 1640-60-2600-75-2900 में "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

1. श्री व्ही0के0पटेल
2. श्री के0आर0 देशमुख

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुवे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार उपरोक्तानुसार पदोन्नति वनक्षेत्रपालों को दिनांक 20.03.1998 से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

रखा-5

232
13/9/2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2021

पृ0 क्रमांक 1727 /1633/2019/10-1

प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
- (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
- (5) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
- (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
- (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) भोपाल।
- (8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

35/09/2021

4858

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०८ /०९/२०२१

क्रमांक 1733 /2526/2020/10-1 :मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर अपील क्रमांक 4717/2001 में पुनरीक्षित आदेश दिनांक 22.02.2018 के परिपालन में उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर भूतलक्षी तिथि से पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 25.06.2021 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ के पदोन्नति दिनांक से वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 5500-175-900 में "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नत करता है:-

अ.क्र.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1	श्री रामसहाय सोनी	06.01.2007
2	श्री आनंदगिरी गोस्वामी	06.01.2007
3	श्री हरिशंकर चौधरी	06.01.2007
4	श्री ए.आर. देवड़े	06.01.2007
5	श्री बोध कुमार दुबे	06.01.2007
6	श्री द्वारका प्रसाद राजपूत	21.03.2007

2/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रमांक 4717/2001 म.प्र. शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री गणेश प्रसाद दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में दिये गये आदेशों के अनुसार पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को उपरोक्तानुसार पदोन्नति तिथि से वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर वेतन अवशेष देय नहीं होगा। उपरोक्त वेतन निर्धारण पेंशन के पुनर्निर्धारण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय स्वत्वों के लिये लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवत्कर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक ०८ /०९/२०२१

स्वा-5

श्री

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन-1) म.प्र. भोपाल

8/9/21 प्र० क्रमांक 1734/2526/2021/10-1
प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
 - (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1), भोपाल।
 - (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
 - (5) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
 - (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
 - (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कापालप प्रधान मुख्य कनसंहक (प्रशासना) अ. प्र. नेपाल
काठमाडौं (प्रशासना) कोस/सि/05/4859 गोपाल दिनांक 15/09/2021
प्रति लिखित :-

मुख्य कनसंहक पुनः गोपाला/बिचुल एवं होशंगापुर
सुनारी और लुम्बिनी एवं बागमती कार्यवाही हेतु
अप्रेषित/सुपरी अवेबल बालक/बालिका ले लम्बिनी
अवेबलको को बागमती कानून का कण्ड गर्ने।


कापालप प्रधान मुख्य कनसंहक
काठमाडौं

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05/07/2021

क्रमांक/1834/1040/2018/10-1 विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 27.02.2016 को सम्पन्न की गई। जिसमें श्री मोतीलाल तिवारी (सामान्य) का नाम अनु.क. 1 बरीयता क्रमांक 162/14 पर शामिल था। बैठक के समय श्री तिवारी के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक अनु. एवं विस्तार सिवनी के आदेश क्र. 34 दिनांक 26.02.2016 द्वारा विभागीय जांच संस्थित थी। प्रकरण में समस्त अभिलेखों/व्यायालयीन निर्णयों के अभिमत के आलोक में पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.02.2016 अनारक्षित वर्ग के श्री मोतीलाल तिवारी उप वनक्षेत्रपाल (बरीयता क्रमांक 162) से संबंध में समिति द्वारा विभागीय जांच के प्रचलित होने के कारण लिफाफा बंद करने का निर्णय लिया गया था।

2/ उक्त विभागीय जांच के विरुद्ध श्री तिवारी द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी./4864/2016 दायर की गई थी। जिसमें मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 14.12.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है :-

"Accordingly, the writ petition is allowed and impugned order dated 26-02-2016 is hereby quashed, without any order as to costs.....

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य शासन स्तर से पत्र क्रमांक 15/3658/2018 दिनांक 02.01.2021 में पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए विभागीय जांच बावत् पुनः निर्णय लेने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लेख किया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुख्य वन संरक्षक सिवनी ने आदेश क्रमांक स्था./2021/10 दिनांक 12.01.2021 से मान. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.12.2017 के परिपालन में आदेश दिनांक 26.02.2016 को निरस्त करते हुये आदेश क्रमांक 63 दिनांक 30.06.2015 को यथावत रखा है।

3/ श्री मोतीलाल तिवारी, उप वनक्षेत्रपाल द्वारा दिनांक 11.12.2018 को अभ्यावेदन 'योग्य प्रणाली' के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री के.एस.गौतम' तहसीलदार के पदोन्नति के प्रकरण में की गई पदोन्नति हेतु अपनाये गये मापदंड अनुसार पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री के.एस.गौतम तहसीलदार के पदोन्नति बावत् दिनांक 25.08.2018 को आदेश जारी किये हैं।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 451/300/2019/3/1 दिनांक 09.04.2019 से सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर को मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका एवं अवमानना प्रकरणों में वर्ष 2002 के पदोन्नति नियमों के तहत पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने बावत् विधिक अभिमत उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत इन्दरपाल यादव एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1985)2 एस.सी. सी. 648 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं आता है तो भी उसे समान प्रकरण में अन्य लोगों को प्रदान किये गये अनुतोष से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उक्त न्याय दृष्टांत को पुनः कालूराम नरवरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2015 (3) एन.पी.डब्ल्यू.एन. 132 में मान्य किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांतों से प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त एस.एल.पी.

निरस्त.....2

रक्षा-05
कृपा


C:\Users\Admin\Desktop\H5 Folder.docx

संयोजक प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(मस्थान-1) म.प्र., भोपाल

R6/7/21





बं 13954/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 उक्त आदेश के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

5/ उपर्युक्त स्थिति में श्री मोतीलाल तिवारी, उप वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/कारण बत्ताओ सूचना/लोकसुवक्त एवं राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण प्रचलित नहीं होने एवं श्री तिवारी के विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डावधि प्रचलित न होने के कारण विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.02.2016 में श्री मोतीलाल तिवारी उप वनक्षेत्रपाल का बंद लिफाफा खोले जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्री मोतीलाल तिवारी को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया है।

6/ अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री मोतीलाल तिवारी, उप वन क्षेत्रपाल को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800 + ग्रेडपे 3600(छत्वां वेतनमान) में पदोन्नत करते हुये वनक्षेत्रपाल वन विद्यालय बालाघाट पदस्थ करता है।

7/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति प्रतिष्ठी नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है

8/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्त के दिनांक से एक माह के अंदर विलत विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23.03.2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

9/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा भर्ती शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये होगी।

10/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवर्कर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,
भोपाल, दिनांक 05/06/2021


पृ० क्रमांक/1035/1040/2016/10-1
प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ग० प्र०, भोपाल।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1), भोपाल।
- (4) संबंधित वनमण्डलाधिकारी.....
- (5) स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
- (6) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
- (7) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) भोपाल।
- (8) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /6 /04 /2021

क्रमांक/777 /3041/2020/10-1 :: उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के पश्चात पुनः वरीयता निर्धारण होने के कारण दिनांक 17.03.2021 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की गई। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक -6/स्था./1/579, दिनांक 28.11.2020 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 26.09.2009 से पदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री अजीत कुमार पाण्डे को वरीयता क्रमांक 209 श्री रामकिशोर द्विवेदी से नीचे तथा अनुक्रमांक 210 पर श्री गुरुप्रसाद मिश्रा के ऊपर वरीयता क्रमांक "209 ए" पर वरीयता निर्धारित की गई। पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.03.2021 में श्री अजीत कुमार पाण्डे को पदोन्नति के योग्य पाया। श्री अजीत कुमार पाण्डे को वर्ष 1999 में दैनिक वेतन भोगी से वनरक्षक के पद पर नियमित किया गया था।

2/ श्री अजीत कुमार पाण्डे उप वनक्षेत्रपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/1792/2004 दायर की गई। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 05.02.2020 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

Considering the arguments advance by the learned counsel for the parties and looking to the relief claimed since the petitioner has claimed consequential benefit of promotion to the post of Forester, therefore, during the pendency of the petition if any juniors to the petitioner have been promoted to the higher post that relief can also be considered.

Considering the above, this petition is disposed of directing the Principal Chief Conservator of Forest to consider the pending representation of the petitioner i.e. dated 23.12.2017 The representation be considered and order be passed within a period of three months from the date of submitting the certified copy of the order. It is made clear that if any juniors to the petitioner have been promoted and the petitioner is otherwise eligible the said post, his case be considered for promotion with all consequential benefits decided by the authority as directed hereabove.

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 401/300/2010/3/1, दिनांक 09.04.2019 द्वारा सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर को अभिमत दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व की डी.पी.सी. के आधार पर निर्णय लिये जाने की बाध्यता नहीं है।

5/ अतः श्री अजीत कुमार पाण्डे, उप वनक्षेत्रपाल को उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015

2....

की अनुशंसा अनुसार मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ. 3-24/2015-10-1, दिनांक 28.11.2015 द्वारा श्री अजीत कुमार पाण्डे से कनिष्ठ वरीयता क्रमांक 211 श्री राकेश भार्गव के उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 28.11.2015 से पदोन्नत किया गया है। अतः श्री अजीत कुमार पाण्डे को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर "कार्य नहीं वेतन नहीं" के साथ पदोन्नति की पात्रता आती है।

6/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति की प्रविष्टि नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम, 2002 अस्तित्व में नहीं है।

7/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

8/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी।

9/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।



402-05
27/4/21
APCCF (Adm.-II)
M.P., BHOPAL

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 16/04/2021

पृ० क्रमांक 775 / 3041 / 2020 / 10-1
प्रतिलिपि-

- (1) महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
- (3) सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
- (4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
- (5) निज सचिव, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
- (6) मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर, म० प्र०।
- (7) वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर, म० प्र०।
- (8) संबंधित.....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) भोपाल।
- (9) गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अज्ञेपित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग